कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

जिले में कक्षा 9 व 11 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा का दायित्व जिला समान परीक्षा समिति के पास होता है। प्रति वर्ष जिला समान परीक्षा योजना समिति के संयोजक अर्द्धवार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व दोनों परीक्षाओं (अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक) प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु निविदा आमन्त्रित करने का प्रावधान है। जिला परीक्षा योजना समिति का अध्यक्ष जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक होते है तथा अन्य सदस्यों के अतिरिक्त लेखा संवर्ग के अधिकारी भी सदस्य होते है।

सत्र 2019–20 में वार्षिक परीक्षा दिनांक : 09.04.2020 से आयोज्य थी, परन्तु कोविड–19 के कारण लॉक डाउन था। विभाग द्वारा दिनांक : 10.04.2020 के आदेश से वार्षिक परीक्षा न लेने का निर्णय लिया गया। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों / समान परीक्षा संयोजकों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि परीक्षा स्थगन का निर्णय बाद में लिया गया एवं लॉक डाउन से पूर्व ही वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मुदण के कार्यादेश जारी कर दिये गये थे अतः मुद्रक द्वारा मुद्रित / संयोजक तक पहुंचाए प्रश्न पत्रों हेतु निविदा अनुरूप भुगतान चाह रहे है।

प्रकरण का सम्पूर्ण राज्य स्तर पर परीक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्देशित किया जाता है कि :–

01. जिला समान परीक्षा योजना समिति बैठक आयोजित कर कार्यादेश के अनुरूप, प्रश्न पत्रों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए नेगोशियेशन कर भुगतान हेतु निर्णय करें।
02. जिन जिलों में प्रश्न पत्र मुद्रक द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये है, उनमें जिला समान परीक्षा योजना समिति के दो सदस्य, जिसमें से एक लेखाकर्मी हो, मुद्रण स्थल पर जाकर पुष्टि करावें तथा अनुपयोगी रद्दी की निलामी करते हुए नेगोशियेशन करावें। इस हेतु भी अन्तिम निर्णय जिला समान परीक्षा योजना समिति का होगा।
03. ऐसे जिले जहां वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मुद्रित ही नहीं किये गये है परन्तु मुद्रक पूर्व तैयारी यथा–प्लेट्स निर्माण आदि का बिल प्रस्तुत कर रहा है। समान परीक्षा योजना समिति पुष्टि कर वास्तविक व्यय का नेगोशियेशन समिति विचार–विमर्श द्वारा भुगतान कर सकेंगे। क्योंकि जिला समान परीक्षा योजना समिति इस कार्य हेतु अधिकृत है। अतः वित्तीय नियमों की पालना करते हुए, नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही स्वयं के स्तर पर विश्लेषण उपरान्त की जानी है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / माध्य / मा–स / 22497 / 2017 / 167
दिनांक : 15/01/2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान, जयपुर।

4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर